Date 19/2/2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 1,1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री,विद्युत अधिनियम,2003(क्रमांक 36 सन् 2003)की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पटल पर रखेंगे.

3. मंत्री का वक्तव्य

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री,दिनांक 12 दिसम्बर,2012 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या- 17 (क्रमांक- 257) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगी.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, अंबुजा सीमेंट संयंत्र में मिश्रण टंकी की दीवार ढहने से श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश के मजदूरों को अन्य सीमावर्ती राज्यों में ले जाकर प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 30, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 64, 65, 71, 75, 80, एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ छियासी करोड़, अठासी लाख, इकतीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक,2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर

दिनांक 19 फरवरी,2013

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव.